सूचना

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि केनरा बैंक के शेयरधारकों की 24वीं ("चौबीसवीं") वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") **मंगलवार, 23 जून, 2026 को सुबह 11 बजे भारतीय मानक समय ("आईएसटी") के अनुसार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो–विज़ुअल माध्यमों ("ओएवीएम")** के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित कार्यों पर विचार–विमर्श किया जाएगा:

सामान्य कार्य

1. 31 मार्च 2026 को बैंक के एकल और समेकित लेखापरीक्षित तुलन पत्र पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकार करना, 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा, तुलन पत्र और लेखा पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और लेखा द्वारा संरक्षित की गई अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट ।

2. वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए लाभांश घोषित करना ।

विशेष कार्य

3. श्री सुनील कुमार चुघ को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त करने संबंधी मंजूरी देना और विमर्श करना ।

   निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो उसे साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना।

"यह संकल्प किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 और अन्य लागू विनियमों के अनुसार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अतंरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप–धारा (3) के खंड (ए) के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संदर्भ ईएफ.सं. 4/4(v)/2024–बीओ.आई. दिनांक 24 नवंबर, 2025 के माध्यम से, पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए, यानी 24 नवंबर, 2025 से 23 नवंबर, 2028 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री सुनील कुमार चुघ की नियुक्ति को अनुमोदित किया जाता है।

4. बैंक के सरकारी मनोनीत निदेशक के रूप में सुश्री शालिनी पंडित की नियुक्ति पर विचार करना और उसका अनुमोदन करना।

NOTICE

Notice is hereby given that the 24th ("Twenty-Fourth") Annual General Meeting ("AGM") of the Shareholders of Canara Bank will be held on **Tuesday, the 23rd June, 2026 at 11 A.M. Indian Standard Time ("IST") through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM"),** to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To discuss, approve and adopt the Standalone and Consolidated Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2026, Profit & Loss Account for the year ended 31st March 2026, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

2. To declare dividend for the financial year 2025-26.

SPECIAL BUSINESS

3. To consider and approve the appointment of Shri Sunil Kumar Chugh as Executive Director of the Bank.

   To consider and if thought fit, to pass the following as an Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT in accordance with Regulation 17 and other applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of Shri Sunil Kumar Chugh as Executive Director of the Bank in exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of Sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Notification Ref eF.no.4/4(v)/2024-BO.I dated November 24, 2025 issued by GoI, for a period of three years with effect from the date of assumption of charge of the office, i.e., from November 24, 2025 to November 23, 2028 or until further orders, whichever is earlier be and is hereby approved.

4. To consider and approve the appointment of Ms. Shalini Pandit as Government Nominee Director of the Bank.

निम्नलिखित पर विचार करते हुए और यदि उचित समझा जाए तो इसे एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करने के लिए:

"यह संकल्प किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एंव प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 17 और अन्य लागू विनियमों के अनुसार, बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुश्री शालिनी पंडित को अधिसूचना संख्या 13 मई, 2026 के माध्यम से बैंक के बोर्ड में सरकारी मनोनीत निदेशक के रूप में तत्काल प्रभाव से, अर्थात् 13 मई, 2026 से और अगले आदेश तक, नियुक्त और अनुमोदित किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

संतोष कुमार बारिक

संतोष कुमार बारिक
कंपनी सचिव

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 27.05.2026

To consider and if thought fit, to pass the following as an Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT in accordance with Regulation 17 and other applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of Ms. Shalini Pandit as Government Nominee Director on the Board of the Bank in exercise of powers conferred by clause (b) of Sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Notification No.e F. No. 6/2(ii)/2022-BO.I dated May 13, 2026 issued by GoI , with immediate effect, i.e., from May 13, 2026 and until further orders be and is hereby approved.

By Order of the Board of Directors

SANTOSH KUMAR BARIK
COMPANY SECRETARY

Place : Bengaluru
Date : 27.05.2026

नोट

1. व्याख्यात्मक विवरणी

सूचना की मद संख्या 3 व 4 के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्धारित करने वाला व्याख्यात्मक विवरण अलग से दिया गया है।

2. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम)

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने, इस संबंध में जारी पिछले परिपत्रों के साथ पढ़े जाने वाले सामान्य परिपत्र 03/2025 (दिनांक 22 सितंबर, 2025) के माध्यम से सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05.05.2020 के पैरा 3 और पैरा 4 में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार कंपनियों की वार्षिक आम बैठकों (एजीएम) के लिए दी गई छूटों को आगे बढ़ा दिया है। "परिपत्रों के अनुरूप, बैंक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने 24वें एजीएम का संचालन कर रहा है, जिसे "ई–एजीएम" कहा जाता है।''

24वें एजीएम के लिए निर्धारित स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय होगा।

बैंक ने ई–एजीएम के संचालन के लिए वार्षिक आम बैठक और अटेंडेंट एनेबलर्स के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान करने के लिए केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) को नियुक्त किया है।

3. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल (ओएवीएम) के माध्यम से ई–एजीएम में भाग लेने के लिए निर्देश

a) वीसी / ओएवीएम पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कम से कम 1000 शेयरधारकों की भागीदारी की अनुमति देगा।

b) बड़े शेयरधारकों (2% या अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारक), प्रमोटरों, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षकों आदि के संबंध में ई–एजीएम में एफआईएफओ प्रवेश हेतु कोई प्रतिबंध नहीं है।

c) ई–एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों की उपस्थिति की गणना बैठक के कोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी।

d) शेयरधारक बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में ई–एजीएम में शामिल हो सकते हैं।

e) शेयरधारक रिमोट ई–वोटिंग क्रेडेंशियल का उपयोग करके https://emeetings.kfintech.com/ के माध्यम

NOTES

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item No. 3 & 4 of the Notice is given separately.

2. AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING

Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide general circular 03/2025 dated September 22, 2025 read with previous circulars in this regard has extended relaxations to Annual General Meeting (AGMs) of companies in accordance with the requirements laid down in Para 3 and Para 4 of the General Circular No.20/2020 dated 05.05.2020. In line with the circulars, the Bank is conducting its 24th AGM through Video Conferencing herein after called as “e-AGM”.

The deemed venue for the 24th AGM shall be the Head Office of the Bank.

The Bank has appointed KFin Technologies Limited, Registrars and Transfer Agent (RTA), to provide Video Conferencing facility for the Annual General Meeting and the attendant enablers for conducting of the e-AGM.

3. INSTRUCTIONS FOR ATTENDING THE e-AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS(OAVM)

a) The VC / OAVM would allow participation of at least 1000 Shareholders on first-come-first-serve basis.

b) No restrictions on account of FIFO entry into e-AGM in respect of large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors, etc.

c) The attendance of Shareholders attending the e-AGM would be counted for the purpose of reckoning the quorum of the meeting.

d) The Shareholders can join the e-AGM 30 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting.

e) Shareholders may access the VC at https://emeetings.kfintech.com/under

से सदस्य लॉगिन के तहत वीसी का उपयोग कर सकते हैं। ई–एजीएम के लिए लिंक शेयरधारक / सदस्यों के लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां इवेंट और कंपनी के नाम का चयन किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों के पास ई–वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई–वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

f) शेयरधारकों को बेहतर अनुभव के लिए गूगल क्रोम के साथ लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

g) इसके अलावा, शेयरधारकों को कैमरा की अनुमति देने की आवश्यकता होगी, यदि कोई हो, और इसलिए बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए अच्छी गति के इंटरनेट का उपयोग करें।

h) कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से लैपटॉप जोड़कर जुडने वाले प्रतिभागी अपने संबंधित नेटवर्क में उतार–चढ़ाव के कारण ऑडियो / वीडियो की गुणवत्ता में कमी का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए उपरोक्त किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचने के लिए स्थिर वाई–फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

i) किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हितधारक आरटीए/ तकनीकी सहायता केंद्र से evoting@kfintech.com पर संपर्क कर सकते हैं।

4. कार्यसूची मदों पर प्रश्न

कार्यसूची मदों पर अपने विचार व्यक्त करने / प्रश्न पूछने के इच्छुक शेयरधारक अपने प्रश्नों को अपने लॉगिन पेज https://evoting.kfintech.com/, पर उनके नाम, फोलियो/ डीमैट विवरण, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उल्लेख करके स्पीकर पंजीकरण पटल में प्रस्तुत कर सकते हैं। "एजीएम प्रश्न"" पटल को 10 जून 2026 को सुबह 10 बजे से 12 जून 2026 को शाम 5 बजे तक सक्रिय रहेगा।"

कृपया ध्यान दें कि, शेयरधारक की शंकाओं / विचारों / प्रश्नों का उत्तर केवल तभी दिया जाएगा, जब, शेयरधारक निर्दिष्ट तिथि अर्थात 16 जून 2026 तक शेयरों को धारण करना जारी रखता है।

बैठक में बोलने के इच्छुक शेयरधारकों को कैमरा चालू रखने की आवश्यकता है और बैठक के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा से बचने के लिए अच्छी गति के इंटरनेट का उपयोग करना होगा। शेयरधारक "स्पीकर पंजीकरण" के तहत उसी पटल में दिए गए विकल्प के माध्यम से अपने वीडियो को पहले से रिकॉर्ड और अपलोड भी कर सकते हैं।

Shareholders / Members login by using the remote e-Voting credentials. The link for e-AGM will be available in Shareholder / members login where the EVENT and the name of the company can be selected. Please note that the Shareholders who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice.

f) Shareholders are encouraged to join the meeting through laptops with Google Chrome for better experience.

g) Further, Shareholders will be required to allow camera, if any, and hence use internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.

h) Please note that participants connecting from mobile devices or tablets or through laptop connecting via mobile hotspot may experience audio / video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

i) The stakeholders may contact RTA / Technical helpdesk at evoting@kfintech.com for any assistance.

4. QUERIES ON AGENDA ITEMS

The Shareholders who would like to express their views / pose queries on agenda items may submit their questions in the speaker registration window provided to them at their login page https://evoting.kfintech.com/, by mentioning their name, folio / demat details, e-mail ID and mobile number. The “AGM Questions” window shall be activated from 10 A.M. IST on 10th June, 2026 till 5 P.M. IST on 12th June, 2026.

Please note that, Shareholder’s queries / views / questions will be responded to, only if, the Shareholder continues to hold the shares as on the cut-off date, i.e., 16th June, 2026.

Shareholders who wish to speak at the meeting will be required to allow camera and use internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting. The Shareholders can also record and upload their video in advance through the option provided in the same portal under “Speaker Registration.”

वार्षिक सामान्य बैठक में बोलने और प्रश्न करने के इच्छुक शेयरधारक, https://evoting.kfintech.com/ में लॉग इन कर सकते हैं और डीमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर, शहर, ई–मेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करके "स्पीकर पंजीकरण" पर क्लिक करके अपना प्रश्न प्रेषित कर सकते हैं। स्क्रीन पर एक संदर्भ संख्या प्रदर्शित की जाएगी जिसे ई–एजीएम बैठक में प्रश्न और उत्तर सत्र के दौरान पुनः प्रस्तुत के लिए संरक्षित किया जा सकता है।

जो शेयरधारक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में शामिल होने में सक्षम नहीं हैं, वे केफिनटेक की ई–वोटिंग वेबसाइट https://evoting.kfintech.com/ पर अपने रिमोट ई–वोटिंग क्रेडेंशियल का उपयोग करके एजीएम की कार्यवाही का लाइव वेबकास्ट देख पाएंगे।

5. परोक्षी की नियुक्ति

परोक्षी को शेयरधारक की ओर से आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने की अनुमति है जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में सक्षम नहीं है। चूंकि यह बैठक वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाती है, जहां शेयरधारक की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है, परोक्षी की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए, इस बैठक में शेयरधारक द्वारा परोक्षी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी।

6. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी या किसी अन्य निकाय कॉर्पोरेट के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने या मतदान करने का हकदार नहीं होगा, जो बैंक का शेयरधारक है, जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की प्रति, जिस बैठक में इसे पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष द्वारा मूल प्रति के साथ ईमेल द्वारा sashi.mannava@kfintech.com / hosecretarial@canarabank.com पर, अथवा हार्ड कॉपी के रूप में' सचिवालय विभाग, केनरा बैंक प्रधान कार्यालय, 112 जे.सी. रोड, बेंगलूरु–560002 के पते पर प्रमाणित न किया गया हो, बैंक के प्रधान कार्यालय में वार्षिक आम बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले, अर्थात गुरुवार, 18 जून, 2026 को बैंक के समापन समय पर या उससे पहले जमा किया जाना होगा।

7. रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के साथ संप्रेषण

भौतिक रूप से शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि उनके पंजीकृत पते में कोई परिवर्तन हो तो वे उसकी सूचना बैंक के शेयर रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट को निम्नलिखित पते पर दें:

Shareholders intending to speak and raise questions at the AGM, may log into https://evoting.kfintech.com/ and click on "Speaker Registration" by mentioning the demat account number / folio number, city, e-mail id, mobile number and submit. A reference number shall be displayed on the screen which may be preserved for recalling during the Q&A session in the e-AGM meeting.

Shareholders who are not able to join this meeting over video conferencing will be able to view the live webcast of proceedings of AGM by logging on the e-Voting website of KFintech at https://evoting.kfintech.com/ using their remote e-Voting credentials.

5. APPOINTMENT OF PROXY

A proxy is allowed to attend and vote at a general meeting on behalf of a Shareholder who is not able to attend personally. Since this meeting is held through VC / OAVM, where the physical attendance of the Shareholder has been dispensed with, there is no requirement for appointment of proxies. Accordingly, the facility of appointment of proxies by Shareholders would not be available during this e-AGM.

6. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to participate or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a Shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been sent either by e-mail to sashi.mannava@kfintech.com / hosecretarial@canarabank.com or in hard copy addressed to 'Secretarial Department, Canara Bank Head Office, 112, J C Road, Bengaluru-560002' not later than four days before the date of the Annual General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank on Thursday, the 18th June, 2026.

7. COMMUNICATION WITH THE REGISTRAR AND TRANSFER AGENT (RTA)

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered addresses, to the Registrar and Transfer Agent of the Bank at the following address:

केफिन टेक्नोलोजिस लिमिटेड
इकाई : केनरा बैंक
सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31-32
गाचीबोवली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा
हैदराबाद - 500 032

इसके अलावा, शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने ई–मेल आईडी को शेयर रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंटों (उपरोक्त पते पर) या बैंक को hosecretarial@canarabank.com पर सूचित / पंजीकृत करें।

अमूर्त रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त परिवर्तनों / ई–मेल आईडी को केवल अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों को सूचित करें।

8. भौतिक शेयरों का अभौतिकीकरण

सेबी सूचिबद्ध विनियमों के विनियम 40 (यथासंशोधित) के अनुसार, प्रतिभूतियों के अंतरण के लिए सभी अनुरोध, जिनमें प्रेषण और प्रतिस्थापन अनुरोध शामिल हैं, केवल अभौतिक रूप में ही संसाधित किए जाएंगे। अतः, हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे कृपया अपनी भौतिक शेयरों का तुरंत अभौतिकीकरण करवा लें।

अभौतिकीकरण हेतु, शेयरधारक अपने संबंधित अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों से संपर्क कर सकते हैं, जहाँ उनका डीमैट खाता है। अभौतिकीकरण के निम्नलिखित लाभ हैं: i) बिना किसी परेशानी के अंतरण ii) शेयर प्रमाणपत्र खोने का कोई खतरा नहीं iii) लाभांश / कॉर्पोरेट लाभों का सीधा और शीघ्र भुगतान iv) नामांकन की सुविधा v) एएसबीए / आईपीओ आदि के ज़रिए सीधे आवेदन।

शेयरों के अभौतिकीकरण की प्रक्रिया बैंक की वेबसाइट www.canarabank.bank.in पर 'निवेशक संबंध' के अंतर्गत उपलब्ध है।

9. रिकॉर्ड तिथि

बैंक के निदेशक मंडल ने प्रति इक्विटी शेयर ₹ 4.20 (अर्थात 210%) के लाभांश को प्रत्येक शेयरधारकों को ₹ 2/- रुपये अंकित मूल्य का वर्ष 2025–26 के लिए वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन देने सिफारिश की है। यह निर्णय लिया गया है कि जिन शेयरधारकों के नाम एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा शुक्रवार, 12 जून 2026 (आगे से रिकॉर्ड तिथि के रूप में संदर्भित) को प्रस्तुत किए गए शेयरधारकों/लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज हैं, उन्हें लाभांश का भुगतान किया जाए। लाभांश का भुगतान शेयरधारकों को वार्षिक आम बैठक (23 जून, 2026) में घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। बैंक केवल नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) / नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस

KFin Technologies Limited
Unit : Canara Bank
Selenium Tower B, Plot No. 31-32
Gachibowli, Financial District, Nanakramguda
Hyderabad - 500 032

Further, the Shareholders are advised to inform/ register their e-mail IDs either to the Registrar and Transfer Agent (at the above address) or to the Bank at hosecretarial@canarabank.com.

Shareholders holding shares in dematerialized form are requested to intimate the aforesaid changes / e-mail IDs only to their depository participants.

8. DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS

As per Regulation 40 of SEBI Listing Regulations, as amended, all requests for transfer of securities including transmission and transposition requests shall be processed only in dematerialized form. Hence, we request the Shareholders to kindly Demat their physical holding immediately.

For dematerialization, Shareholders may contact their respective Depository Participant, where they maintain their respective demat account. Benefits of dematerialization are as follows: i) Hassle-free transfer ii) No threat of loss of share certificate iii) Direct and prompt credit of Dividend / Corporate benefits iv) Nomination facility v) Direct application through ASBA / IPO, etc.

The process of Dematerialisation of shares is available on the Bank's website i.e., www.canarabank.bank.in under 'Investor Relation'.

9. RECORD DATE

The Board of Directors of the Bank has recommended a dividend of ₹ 4.20 per equity share (i.e. 210%) of face value of ₹ 2/- each to the Shareholders for the financial year 2025-26, subject to the approval of the Shareholders at the AGM. It has been decided to pay the dividend to the Shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on Friday, 12th June, 2026 (hereinafter referred to as Record Date). The dividend will be paid to the Shareholders within 30 days from the date of declaration at the Annual General Meeting (23rd June, 2026). The Bank will credit the dividend amounts to the Bank accounts of the Shareholders through National Electronic

(एनईसीएस) सुविधा के माध्यम से शेयरधारकों के बैंक खातों में लाभांश राशि जमा करेगा। इसलिए, जिन शेयरधारकों के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने निक्षेपागार सहभागी को उनके पते के नवीनतम परिवर्तन और बैंक अधिदेश विवरण (नए खाता संख्या, यदि कोई हो, बैंक के एमआईसीआर और आईएफएससी कोड नंबर सहित) के बारे में सूचित करें और शीघ्र ही एनईएफटी / एनईसीएस के माध्यम से जमा लाभांश राशि सुनिश्चित करें। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए केवल अपने निक्षेपागार सहभागी से संपर्क कर सकते हैं।

जिन शेयरधारकों के पास उनके शेयर भौतिक रूप में हैं, उन्हें लाभांश प्राप्त करने के लिए बैंक के सचिवालय विभाग या बैंक के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट को इस सूचना के पैरा 7 में दिए गए पते पर अपने बैंक मैंडेट विवरण प्रस्तुत / अद्यतन करना होगा। भौतिक शेयरधारकों को कोई लाभांश वारंट जारी नहीं किया जाएगा।

10. लाभांश भुगतान के स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस)

a) आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अनुसार, जैसा कि वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित किया गया है, 1 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों को प्राप्त लाभांश आय पर कर योग्य है और बैंक को निर्धारित दरों पर शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर की कटौती करना आवश्यक है। विभिन्न श्रेणियों की निर्धारित दरों के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और उसके संशोधनों का संदर्भ लें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पैन को बैंक / आरटीए (भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में) और निक्षेपागार (डीमैट रूप में रखे गए शेयरों के मामले में) के साथ अद्यतन करें।

b) एक निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक, जिसके पास वैध ठअछ है और जो आयकर देने के लिए उत्तरदायी नहीं है, 'स्रोत पर कर की कटौती न होने' का लाभ उठाने के लिए फॉर्म संख्या 121 में एक वार्षिक घोषणा प्रस्तुत कर सकता है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे नोट करें, यदि उनका पैन पंजीकृत नहीं है, तो उच्च दर से कर काटा जाएगा। अनिवासी शेयरधारक आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने की शर्त पर, भारत और उनके निवास देश के बीच कर संधि के तहत लाभकारी दरों का लाभ उठा सकते हैं, अर्थात कोई स्थायी प्रतिष्ठान और लाभकारी

Funds Transfer (NEFT) / National Electronic Clearing Service (NECS) facility only. The Shareholders, who are holding the shares in electronic form, are, therefore, requested to inform their Depository Participants about their latest change of address and Bank mandate details (including new account number, if any, Bank's MICR and IFSC Code numbers) immediately to ensure prompt crediting of the dividend amounts through NEFT / NECS. The Shareholders who are holding the shares in demat form may approach their DEPOSITORY PARTICIPANTS ONLY for necessary action in this connection.

The Shareholders who are holding their shares in physical form should furnish / update their Bank Mandate details with the Secretarial Department of the Bank or to the Registrar and Transfer Agent of the Bank at the address given at Para 7 above in this Notice in order to receive dividend. No Dividend warrant will be issued to physical Shareholders.

10. TAX DEDUCTED AT SOURCE (TDS) ON DIVIDEND PAYMENT

a) Pursuant to Provision of Income Tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2020, dividend income is taxable in the hands of Shareholders w.e.f. 1st April, 2020 and the Bank is required to deduct tax at source from dividend paid to Shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the Shareholders are requested to refer to the provisions of Income Tax Act, 1961 and amendments thereof. The Shareholders are requested to update their PAN with the Bank / RTA (in case of shares held in physical form) and Depositories (in case of shares held in demat form).

b) A Resident individual Shareholder with valid PAN and who is not liable to pay Income Tax can submit a yearly declaration in Form No. 121, to avail the benefit of non-deduction of tax at source. Shareholders are requested to note that in case their PAN is not registered, the tax will be deducted at a higher rate. Non-resident Shareholders can avail beneficial rates under tax treaty between India and their country of residence, subject to providing necessary

स्वामित्व घोषणा, कर निवास प्रमाण पत्र, फॉर्म 10एफ, कोई अन्य दस्तावेज जैसे आवश्यक दस्तावेजों को प्रेषित कर संधि का लाभ उठाया जा सकता है, जिसे संबंधित दस्तावेजों / घोषणाओं को प्रस्तुत करके या तो दस्तावेजों / प्रपत्रों को अपलोड करके या ई–मेल भेजकर या प्रासंगिक दस्तावेजों / प्रपत्रों की मूल प्रति जो आरटीए की वेबसाइट (www.kfintech.com) पर उपलब्ध हैं।

c) शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उपयुक्त टीडीएस / रोक कर दर पर कर निर्धारित करने और कटौती करने में बैंक को सक्षम बनाने के लिए उपर्युक्त दस्तावेजों को आरटीए की वेबसाइट https://ris.kfintech.com/form15 पर 15 जून 2026 को शाम 5 बजे (भारतीय मानक समय), पर अपलोड करें या einward.ris@kfintech.com पर ई–मेल करें।

d) केवल डाक / कूरियर या पंजीकृत ई–मेल आईडी से प्राप्त दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे। संबंधित दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां (जहां शेयरधारक केवल मूल प्रति भेज रहा है) हमारे आरटीए को ऊपर दिये गए पैरा 7 में उल्लिखित उनके पते पर भेजी जा सकती हैं। 15 जून 2026 के बाद कर निर्धारण / कटौती पर कोई संप्रेषण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

11. पिछले वर्षों के अप्राप्त / अदावी लाभांश की जानकारी, यदि कोई हो:

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंट नकदीकरण नहीं किया है / पिछली अवधि, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23, 2023–24 और 2024–25 के लाभांश प्राप्त नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे लाभांश को सीधे खातों में जमा करने के लिए बैंक खातों को अद्यतन करने हेतु बैंक के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट या बैंक के सचिवालय विभाग, बेंगलूरु से निम्नलिखित पते पर संपर्क करें:

केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नंबर 31, जिला नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल हैदराबाद - 500 032 ईमेल आईडी:einward.ris@kfintech.com टोल फ्री नंबर - 1- 800-309-4001	सचिवालय विभाग, केनरा बैंक प्रधान कार्यालय, 112, जे सी रोड, बेंगलूरु - 560002 ई-मेल - hosecretarial@canarabank.com

documents, i.e., No Permanent Establishment and Beneficial Ownership Declaration, Tax Residency Certificate, Form 10F, any other document which may be required to avail the tax treaty benefits by submitting the relevant documents / declarations either by uploading the documents / forms or sending an e-mail or sending the hardcopy of relevant documents / forms which are available on the website of the RTA (www.kfintech.com)

c) The Shareholders are requested to upload the aforementioned documents latest by 5 PM (IST), 15th June, 2026 on the website of the RTA viz. https://ris.kfintech.com/form15 or e-mail them at einward.ris@kfintech.com in order to enable the Bank to determine and deduct tax at appropriate TDS / withholding tax rate.

d) Documents received by post / courier or from registered e-mail ID will only be accepted. The physical copies of the relevant documents (wherever Shareholder is sending hard copy only) may be sent to our RTA at their address mentioned in Para 7 above. No communication on the tax determination / deduction shall be entertained post 15th June, 2026.

11. UNCLAIMED / UNPAID DIVIDEND, IF ANY OF PREVIOUS YEARS:

The Shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend of previous periods, i.e., for the financial years 2021-22, 2022-23, 2023-24 and 2024-25 are requested to contact the Bank's Registrar and Transfer Agent or at Bank's Secretarial Department at Bengaluru on the following address for updation of Bank accounts for direct credit of dividends into accounts:

KFin Technologies Ltd. Selenium Tower B, Plot No. 31, District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500 032. E-mail ID: einward.ris@kfintech.com Toll free number - 1- 800-309-4001	Secretarial Department, Canara Bank Head Office, 112, J C Road, Bengaluru - 560 002. E-mail - hosecretarial@canarabank.com

बैंक ने अदावी / अवैतनिक लाभांश वारंट का विवरण अपनी साइट अर्थात www.canarabank.bank.in पर पोस्ट किया है ताकि शेयरधारकों को शेयर ट्रांसफर एजेंट / या बैंक के साथ hosecretarial@canarabank.com पर संपर्क करके दावा करने में सक्षम बनाया जा सके।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ध्यानपूर्वक यह नोट करें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 में "बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) एवं वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006" के माध्यम से किए गए संशोधन के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को उक्त अधिनियम के लागू होने के समय से पूर्व वर्षों के लाभांश खातों में बकाया / अदा न की गई राशि तथा उक्त अधिनियम के लागू होने के बाद घोषित लाभांश को "अदावी लाभांश खाते" में अंतरित करना आवश्यक है।

बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10ऑ के अनुसार, सात साल की अवधि के लिए बकाया या अदावी लाभांश की राशि को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित 'निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि' (आईईपीएफ) में स्थानांरित करने की आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष 2016–17 से संबंधित बकाया लाभांश पहले ही आईईपीएफ में स्थानांतरित कर दिया गया है।

इसके अलावा, बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 125 के तहत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में उन सभी शेयरों को स्थानांतरित करेगा जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों की अवधि के लिए लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है, साथ ही उक्त नियमों में निर्दिष्ट विवरणों वाले विवरण भी होंगे। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2025–26 में 1,05,00,832 (एक करोड़ पांच लाख आठ सौ बत्तीस) शेयर आईईपीएफ में स्थानांतरित किए गए हैं।

कोई भी व्यक्ति जिसके शेयर या अदावाकृत या अप्रदत्त धन को उपधारा (3) के अधीन निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया गया है, वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 और धारा 125 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार उक्त निधि से अंतरण का दावा करने का हकदार होगा।

The Bank has posted the details of the Unclaimed/ Unpaid Dividend Warrants on its site i.e., www.canarabank.bank.in to enable the Shareholders to claim by contacting with the Share Transfer Agent / or with the Bank at hosecretarial@canarabank.com.

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to amendment in Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/ 1980 vide "The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006", Public Sector Banks are required to transfer amount remaining unpaid/ unclaimed in dividend accounts of earlier years on the commencement of the aforesaid Act, and also dividend declared after the commencement of the said Act, to "Unpaid Dividend Account".

As per Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under Section 125 of the Companies Act, 2013. The unpaid dividend pertaining to the financial year 2016-17 is already transferred to IEPF.

Further, in terms of The Banking Laws (Amendment) Act, 2025, the Bank shall transfer, in accordance with the rules made under Section 124 of the Companies Act, 2013, to the Investor Education and Protection Fund established under Section 125 of the said Act, all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for a period of seven consecutive years, along with a statement thereof containing the details specified in the said rules. Accordingly, 1,05,00,832 (One crore five lakh eight hundred thirty two) shares are transferred to IEPF in the Financial Year 2025-26.

Any person whose shares or unclaimed or unpaid money has been transferred to the Investor Education and Protection Fund under sub-section (3), shall be entitled to claim the transfer from the said fund, in accordance with the rules made under Section 124 and Section 125 of the Companies Act, 2013.

12. वार्षिक रिपोर्ट

बैंक के शेयरधारक कृपया नोट करें कि एमसीए, भारत सरकार और सेबी द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों के अनुपालन में, बैंक शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजेगा, जो इसके लिए अनुरोध करेगा। वार्षिक रिपोर्ट की पूरी प्रति बैंक की वेबसाइट (www.canarabank.bank.in) पर अपलोड की गई है। शेयरधारक वेबसाइट से इसका पठनीय संस्करण डाउनलोड कर सकते हैं। इस नोटिस को बीएसई लिमिटेड, एनएसई लिमिटेड और ई–वोटिंग एजेंसी केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com, www.nseindia.com और https://evoting.kfintech.com पर भी देखा जा सकता है।

13. पते में परिवर्तन / लाभांश अधिदेश:

a) नोटिस / सूचनाएं भेजने के लिए बैंक, एनएसडीएल/ सीडीएसएल के साथ रजिस्टर्ड पते के विवरण का उपयोग करेगा, जिसे आरटीए ने संबंधित निक्षेपागार से डाउनलोड किया है। जो सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखते हैं, उन्हें इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके डीमैट खाते में पंजीकृत पते को संबंधित निक्षेपागार प्रतिभागी के साथ अद्यतन किया जाना चाहिए। बैंक या उसका रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से सीधे प्राप्त पते में किसी भी बदलाव के अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकता है। ऐसे बदलावों की सूचना केवल सदस्यों के निक्षेपागार प्रतिभागी को ही दी जानी चाहिए।

b) जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे पते में किसी भी परिवर्तन की सूचना वैध दस्तावेजी साक्ष्य और विधिवत हस्ताक्षरित औपचारिक अनुरोध आवेदन के साथ तुरंत रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, यानी केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, हैदराबाद को दें। जिन सदस्यों के शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं, उन्हें अपने पते में परिवर्तन की जानकारी बैंक या बैंक के रजिस्ट्रार और ट्रांसफ़र एजेंट के पास न देकर केवल अपने संबंधित निक्षेपागार प्रतिभागी के पास ही दर्ज करानी चाहिए।

c) सदस्यों से अनुरोध है कि बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के साथ किसी भी पत्राचार में, वे अनिवार्य रूप से अपने संबंधित फोलियो नंबर (उन सदस्यों के लिए जिनके शेयर भौतिक रूप में हैं) और अपने संबंधित डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी नंबर (उन सदस्यों के लिए जिनके शेयर इलेक्ट्रॉनिक / डीमैट रूप में हैं) का उल्लेख करें।

12. ANNUAL REPORT

Shareholders of the Bank may please note that in compliance with the various Circulars issued by MCA, GOI and SEBI, the Bank will send the physical copies of Annual Report to the Shareholders who request for the same. The full copy of the Annual Report is uploaded on the website of the Bank (www.canarabank.bank.in). Shareholders may download the readable version of the same from the website. The notice can also be accessed from the websites of BSE Limited, National Stock Exchange of India Limited & e-Voting agency KFin Technologies Limited at www.bseindia.com, www.nseindia.com and https://evoting.kfintech.com respectively.

13. CHANGE OF ADDRESS / DIVIDEND MANDATE:

a) The Bank for sending Notices / Communications, will use the details of address registered with the NSDL / CDSL and downloaded by RTA from the respective Depositories. Members holding shares in electronic form are hereby informed that their address registered in Demat Account should be updated with respective Depository Participant. The Bank or its Registrar and Transfer Agent cannot act on any request received directly from the members holding shares in electronic form for any change of address. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members.

b) Members holding shares in physical form are requested to advise any change of address along with a valid documentary evidence and formal request application duly signed immediately to the Registrar and Transfer Agent, i.e. KFin Technologies Limited, Hyderabad. Members holding shares in electronic form must register change in address with their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's Registrar and Transfer Agent.

c) Members are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP ID / Client ID number (for those holding shares in electronic / demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Transfer Agent.

14. शेयरधारकों के मतदान अधिकार

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक उसके द्वारा रखे गए किसी भी शेयर के संबंध में वोटिंग अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000 के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो रजिस्टर में जिसका नाम सबसे पहले दर्ज है, उसे ही मतदान के संबंध में उस शेयर का एकमात्र धारक माना जाएगा। इस तरह, अगर शेयर संयुक्त धारक के नाम पर हैं, तो पहले नाम वाले व्यक्ति को ही एजीएम में शामिल होने और एजेंडा पर वोट करने का हक है, या तो रिमोट ई–वोटिंग से या एजीएम में वोटिंग से, अगर रिमोट ई–वोटिंग से वोटिंग का अधिकार इस्तेमाल नहीं किया गया है।

15. ई–वोटिंग: {सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार}

बैंक को केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के माध्यम से बैंक के शेयरधारकों को रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है ताकि वे नोटिस में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें।

कार्यसूची मद के संबंध में, शेयरधारकों / लाभार्थी स्वामियों के ई–मतदान अधिकारों की गणना उनके द्वारा मंगलवार, 16 जून, 2026 को धारित इक्विटी शेयरों के आधार पर की जाएगी, जो कट–ऑफ तिथि है। कट–ऑफ तिथियों पर बैंक के शेयरधारक जो भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर रखते हैं, वे नोटिस के कार्यसूची मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट दे सकते हैं।

ई–वोटिंग के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

a) ई–वोटिंग के लिए निम्नलिखित यूआरएल का उपयोग करें: https://evoting.kfintech.com

b) लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें। आपका फोलियो नंबर / डीपी आईडी ग्राहक आईडी आपकी यूजर आईडी होगी। पासवर्ड आपके पंजीकृत ई–मेल आईडी पर भेजे जाएंगे।

c) जिन लोगों का ई–मेल पता पंजीकृत नहीं है, उनके लिए लॉगिन क्रेडेंशियल / वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया:

14. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980, no Shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the Shareholders of the Bank.

As per Regulation 10 of the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the AGM and vote on the Agenda, either through remote e-Voting or voting at the AGM, if voting right is not exercised through remote e-Voting.

15. e-Voting: {As per the Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015}

The Bank is pleased to provide remote e-Voting facility to the Shareholders of the Bank through KFin Technologies Limited to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice.

With respect to agenda items, the e-Voting rights of the Shareholders / Beneficiary Owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on Tuesday, 16th June, 2026 being the Cut-off date. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off date may cast their vote electronically on the agenda items of the Notice.

The instructions for e-Voting are as under:

a) To use the following URL for e-Voting: https://evoting.kfintech.com

b) Enter the login credentials. Your Folio No. / DP ID Client ID will be your user ID. The passwords would be sent to your registered e-mail id.

c) Procedure for obtaining login credentials / Annual Report for those whose e-mail addresses is not registered:

जिन शेयरधारकों ने अपना मेल पता पंजीकृत नहीं किया है और परिणामस्वरूप उन्हें वार्षिक रिपोर्ट, ई–एजीएम और ई–वोटिंग नोटिस की सेवा नहीं दी जा सकी है वे असेधायी रूप से अपना ई–मेल पता और मोबाइल नंबर कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, केफिन टेक्नोलाजी को भेज सकते हैं, इसके लिंक सूचना नहीं दी जा सकती है। कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ अस्थायी रूप से अपना ई–मेल पता और मोबाइल नंबर प्रदान किया जा सकता है, लिंक भेजने के लिए: https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobilemailreg.aspx पर क्लिक करें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ नोटिस और ई–वोटिंग निर्देशों की सॉफ्ट कॉपी भेजने के लिए ई–मेल पता और मोबाइल नंबर प्राप्त करने के लिए निर्देशित प्रक्रिया का पालन करें। किसी भी प्रकार के पूछताछ के मामले में, शेयरधारक einward.ris@kfintech.com को लिख सकतें हैं।

वैकल्पिक रूप से, सदस्य ई–मेल पता, मोबाइल नंबर, स्व–सत्यापित पैन प्रति प्रदान करने वाले अनुरोध पत्र की हस्ताक्षरित प्रति की स्कैन की गई प्रति और इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामले में ग्राहक मास्टर प्रति और वार्षिक रिपोर्ट, ई–एजीएम की नोटिस और ई–वोटिंग निर्देश भेजने के लिए भौतिक फोलियो के मामले में शेयर प्रमाण पत्र की प्रति के साथ einward.ris@kfintech.com ई–मेल आईडी पर ई–मेल अनुरोध भेज सकते हैं।

d) उचित रूप से विवरण दर्ज करने के बाद, लॉगिन पर क्लिक करें।

e) आपको पासवर्ड परिवर्तन मेनू में जाकर अपना पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदलना होगा। नए पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस (ए–जेड), एक लोअर केस (ए–जेड), एक संख्यात्मक वैल्यू (0–9) और एक विशेष अक्षर वाले न्यूनतम 8 अक्षर शामिल होंगे। सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने और पहले लॉगिन पर मोबाइल, ई–मेल आदि जैसे किसी भी संपर्क विवरण को अद्यतन करने के लिए प्रेरित करेगा। यदि आप इसे भूल जाते हैं तो आप अपने पासवर्ड को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी पसंद के गुप्त प्रश्न और उत्तर भी दर्ज कर सकते हैं। यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें।

Shareholders who have not registered their e-mail address and in consequence the Annual Report, Notice of e-AGM and e-Voting intimation could not be serviced, may temporarily get their e-mail address and mobile number provided with the Company's Registrar and Transfer Agent, KFin Technologies Limited, by clicking the link: https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx for sending the same. Shareholders are requested to follow the process as guided to capture the e-mail address and mobile number for sending the soft copy of the notice and e-Voting instructions along with the User ID and Password. In case of any queries, Shareholder may write to einward.ris@kfintech.com.

Alternatively, Shareholders may send an e-mail request at the e-mail ID einward.ris@kfintech.com along with scanned copy of the signed copy of the request letter providing the e-mail address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for sending the Annual report, Notice of e-AGM and the e-Voting instructions.

d) After entering the details appropriately, click on LOGIN.

e) You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, e-mail etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

f) आपको नए क्रेडेंशियल्स के साथ फिर से लॉगिन करना होगा।

g) सफलतापूर्वक लॉगिन होने पर, सिस्टम आपको इवेंट, अर्थात केनरा बैंक का चयन करने के लिए संकेत देगा।

h) मतदान पृष्ठ पर कार्यसूची मद निर्दिष्ट तिथि (16 जून, 2026) के अनुसार शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या दिखाई देगी। यदि आप उक्त कार्यसूची मदों के लिए संकल्पों में स्वीकृति / असहमति देने वाले सभी वोट डालना चाहते हैं तो सभी शेयरों को दर्ज करें और मामलानुसार, "FOR" / "AGAINST" पर क्लिक करें। आपको अपने सभी वोट एक ही तरीके से डालने की आवश्यकता नहीं है। आप आंशिक रूप से "FOR" और आंशिक रूप से "AGAINST" में किसी भी संख्या को दर्ज कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि ऊपर उल्लिखित है कि "FOR / AGAINST" में एक साथ ली गई कुल संख्या आपके कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आप मतदान से परहेज करना चाहते हैं तो आप "ABSTAIN" का विकल्प भी चुन सकते हैं। यदि आप "FOR" या "AGAINST" का संकेत नहीं देते हैं, तो इसे "ABSTAIN" माना जाएगा और धारित शेयरों को किसी भी मद के तहत नहीं गिना जाएगा। संशोधित करने के लिए और रद्द की पुष्टि करने के लिए ठीक क्लिक करें। एक बार पुष्टि करने के बाद अपने मत को संशोधित नहीं कर सकते हैं। मतदान अवधि के दौरान, शेयरधारक कई बार लॉगिन कर सकते हैं जब तक कि उन्होंने इन प्रस्तावों पर मतदान नहीं किया है।

i) ऐसे शेयरधारक जिनके पास बहुविध फोलियो / डीमैट खाते हैं वे प्रत्येक फोलियो / डीमैट खाते के लिए अलग से मतदान प्रक्रिया का चयन करेंगे। हालांकि, शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के अनुसार, भारत सरकार के अलावा किसी भी शेयरधारक को बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है।

j) संस्थागत शेयरधारक (अर्थात व्यक्तियों के अलावा, एचयूएफ, एनआरआई, आदि) जो मतदान के लिए अधिकृत हैं, संबंधित बोर्ड संकल्प / प्राधिकरण पत्र, आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ / जेपीजी प्रारूप) को विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ scrutinizer@snaco.net पर ई–मेल के माध्यम से जांचकर्ता को भेजना आवश्यक है।

k) एक बार जब आप किसी संकल्प पर अपना वोट डालते हैं तो आपको बाद में इसे संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

f) You need to login again with the new credentials.

g) On successful login, the system will prompt you to select the EVENT, i.e., Canara Bank.

h) For the Agenda items, on the voting page, the number of shares as held by the Shareholder as on the Cut-off Date (16th June, 2026) will appear. If you desire to cast all the votes assenting/ dissenting to the Resolutions for the said Agenda Items then enter all shares and click "FOR" / "AGAINST" as the case may be. You are not required to cast all your votes in the same manner. You may partially enter any number in "FOR" and partially in "AGAINST" but the total number in "FOR / AGAINST" taken together should not exceed your total shareholding as mentioned hereinabove. You may also choose the option "ABSTAIN" in case you wish to abstain from voting. If you do not indicate either "FOR" or "AGAINST" it will be treated as "ABSTAIN" and the shares held will not be counted under either head. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, Shareholders can login any number of times till they have voted on these resolutions.

i) Shareholders holding multiple folios / demat accounts shall choose the voting process separately for each folio / demat account. However, Shareholders may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no Shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.

j) Institutional Shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF / JPG Format) of the relevant Board Resolution / Authority letter, etc., together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail to : scrutinizer@snaco.net

k) Once you have cast your vote on a resolution you will not be allowed to modify it subsequently.

l) रिमोट ई–मतदान अवधि :

यह पोर्टल शुक्रवार, 19 जून, 2026 को सुबह 09.00 बजे से सोमवार, 22 जून 2026 को शाम 5.00 बजे तक (दोनों दिन शामिल) मतदान के लिए खुला रहेगा और इसके बाद आरटीए ई–वोटिंग प्लेटफॉर्म को अक्षम कर देगा।

m) किसी भी प्रकार के पूछताछ के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और https://evoting.kfintech.com के डाउनलोड भाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग उपयोगकर्ता निर्देशिका का उल्लेख कर सकते हैं या केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के श्री शशिधर एस. मन्नवा / श्री बालाजी रेड्डी से 1800 309 4001 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं।

n) यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और इसे गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।

o) ई–वोटिंग के परिणामों की घोषणा बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट पर की जाएगी और शेयर बाज़ार को भी सूचित किया जाएगा।

कृपया ध्यान दें कि ई–वोटिंग के तहत अपना मत डालने के बाद, आप वार्षिक आम बैठक में अपने मत को संशोधित या पुनः मतदान नहीं कर सकते हैं। हालांकि, आप बैठक में भाग ले सकते हैं और चर्चा, यदि कोई हो, में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं।

निक्षेपागार के माध्यम से रिमोट ई–वोटिंग के निर्देश निम्नानुसार हैं:

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई–वोटिंग सुविधा पर सेबी परिपत्र SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर 2020 के संदर्भ में, डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को निक्षेपागार और निक्षेपागार सहभागी के साथ अनुरक्षित अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है।

शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई–वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अद्यतन करें।

a) व्यक्तिगत सदस्य (जिनके पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियां हैं) निक्षेपागार के माध्यम से लॉगिन करें

डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों के लिए लॉगिन विधि निम्नलिखित है:

l) Remote e-Voting Period:

The portal will remain open for voting from: 9.00 A.M. on Friday, the 19th June, 2026 to 5.00 P.M. on Monday, the 22nd June, 2026 (both days inclusive) and RTA will disable the e-Voting platform thereafter.

m) In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting User Manual for Shareholders available at the download section of https://evoting.kfintech.com or contact Mr. Sashidhar S Mannava / Mr. Balaji Reddy of KFin Technologies Limited at 1800 309 4001 (toll free).

n) It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.

o) The results of e-Voting will be announced by the Bank on its website and also informed to the stock exchanges.

Kindly note that once Shareholders have cast their vote under e-Voting, you cannot modify or vote on poll at the Annual General Meeting. However, you can attend the meeting and participate in the discussions, if any.

The instructions for remote e-Voting through Depositories are as under:

In terms of SEBI circular SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, individual Shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants.

Shareholders are advised to update their mobile number and e-mail ID in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

a) Individual Members (holding securities in demat mode) login through Depository

Login method for Individual members holding securities in demat mode is given below:

शेयरधारकों के प्रकार	लॉगिन का तरीका
एनएसडीएल के साथ डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	**A ऐसे उपयोगकर्ता जिन्होंने IDeAS सुविधा के लिए पहले से ही पंजीकृत है:** 1. यूआरएल पर जाएँ: https://eservices.nsdl.com. 2. 'IDeAS' भाग में "Login" के अंतर्गत "Beneficial Owner" आइकन पर क्लिक करें। 3. नए पेज पर, उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड डालें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, 'Value Added Services' के अंतर्गत "Access to e-Voting" पर क्लिक करें। 4. ई-वोटिंग (e-Voting) के अंतर्गत 'Active E-Voting Cycles' विकल्प पर क्लिक करें। 5. कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता पर क्लिक करें, और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। **B. ऐसे उपयोगकर्ता जिन्होंने IDeAS ई-सेवाओं के लिए पंजीकरण नहीं किया है:** 1. यूआरएल पर जाएँ: https://eservices.nsdl.com. 2. "IDeAS Register Online for IDeAS " का चयन करें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। 3. 'IDeAS Register Online for IDeAS' का चयन करें। 4. अपनी डीपी आईडी (DP ID), क्लाईंट आईडी (Client ID), मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी भरकर अपना पंजीकरण पूरा करें। 5. सफल पंजीकरण के बाद, वोट डालने के लिए उपरोक्त पैरा A में दिए गए चरणों का पालन करें। **C. या फिर, आप सीधे एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाकर भी पंजीकरण कर सकते हैं।** 1. यूआरएल पर जाएँ: www.evoting.nsdl.com. 2. 'Shareholder/Member' भाग के तहत दिए गए "Login" आइकन पर क्लिक करें। 3. एक नई स्क्रीन दिखाई देगी। आपको अपनी उपयोगकर्ता आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड / ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाया गया सत्यापन कोड दर्ज करना होगा। 4. सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपसे कंपनी का नाम और ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का नाम, यानी केफिनटेक (KFintech), चुनने का अनुरोध किया जाएगा। 5. सफल चयन होने पर, आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने के लिए KFintech ई-वोटिंग पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।
सीडीएसएल के साथ डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	**A. मौजूदा उपयोगकर्ता जिन्होंने ईज़ी (Easi) / ईज़िएस्ट (Easiest) का विकल्प चुना है** 1. https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Home/Login या www.cdslindia.com यूआरएल पर जाएं। 2. 'Quick Login' के अंतर्गत, 'New System Myeasi / Login to My Easi' विकल्प पर क्लिक करें। 3. अपने पंजीकृत उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करें। 4. उपयोगकर्ता को ई-वोटिंग मेन्यू दिखाई देगा। इस मेन्यू में ईएसपी (ESP), यानी KFintech ई-वोटिंग पोर्टल के लिंक होंगे। 5. कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता पर क्लिक करें, और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। **B. ऐसे उपयोगकर्ता जिन्होंने Easi/Easiest के लिए पंजीकृत नहीं किया है।** 1. पंजीकरण करने का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Home/Login पर उपलब्ध है। 2. अपनी डीपी आईडी (DP ID), क्लाईंट आईडी (Client ID), मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी भरकर अपना पंजीकरण पूरा करें। 3. सफल पंजीकरण के बाद, वोट डालने के लिए उपरोक्त पैरा A में दिए गए चरणों का पालन करें। **C. या फिर, आप सीधे एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाकर भी पंजीकरण कर सकते हैं।** 1. यूआरएल पर जाएँ: www.cdslindia.com. 2. ई-वोटिंग पर क्लिक करें और अपनी डीपी आईडी, क्लाईंट आईडी और पैन नंबर दर्ज करें। 3. सिस्टम, डीमैट खाते में दिए गए पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता की पहचान की पुष्टि करेगा। 4. सफल चयन के उपरांत, आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने के लिए केफिनटेक ई-वोटिंग पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।

Type of Shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	**A. User already registered for IDeAS facility:** 1. Visit URL: https://eservices.nsdl.com. 2. Click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" under 'IDeAS' section. 3. On the new page, enter User ID and Password. Post successful authentication, click on "Access to e-Voting" under 'Value Added Services' 4. Click on 'Active E-Voting Cycles' option under e-Voting. 5. Click on company name or e-Voting service provider and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting the vote during the remote e-Voting period. **B. User not registered for IDeAS e-Services** 1. Visit URL: https://eservices.nsdl.com. 2. Select "Register Online for IDeAS" or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp 3. Select 'Register Online for IDeAS'. 4. Proceed to complete your registration using your DP ID, Client ID, Mobile number and other required details. 5. After successful registration, follow the steps mentioned under Para A above to cast your vote. **C. Alternatively by directly accessing the e-Voting website of NSDL** 1. Open URL: www.evoting.nsdl.com. 2. Click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. 3. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number held with NSDL), Password / OTP and a Verification Code as shown on the screen. 4. Post successful authentication, you will requested to select the name of the company and the e-Voting Service Provider name, i.e.KFintech. 5. On successful selection, you will be redirected to KFintech e-Voting page for casting your vote during the remote e-Voting period.
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	**A. Existing user who have opted for Easi / Easiest** 1. Visit URL: https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Home/Login or URL www.cdslindia.com. 2. Click on New System Myeasi / Login to My Easi option under Quick Login. 3. Login with your registered user id and password. 4. The user will see the e-Voting Menu. The Menu will have links of ESP i.e. KFintech e-Voting portal. 5. Click on company name or e-Voting service provider and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting the vote during the remote e-Voting period. **B. User not registered for Easi / Easiest** 1. Option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Home/Login 2. Proceed to complete your registration using your DP ID, Client ID, Mobile number and other required details. 3. After successful registration, follow the steps mentioned under Para A above to cast your vote. **C. Alternatively, by directly accessing the e-Voting website of CDSL** 1. Visit URL: www.cdslindia.com. 2. Click on E-Voting and enter your DP ID & Client ID and PAN. 3. System will authenticate user by sending OTP on registered Mobile & E-mail as recorded in the demat Account. 4. On successful selection, you will be redirected to KFintech e-Voting page for casting your vote during the remote e-Voting period.

व्यक्तिगत शेयरधारक अपने डीमैट खातों / निक्षेपागार सहभागी की वेबसाइट के माध्यम से लॉग इन करते हैं।	1. आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डीपी के माध्यम से, अपने डीमैट खाते के लॉगिन विवरण का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। 2. एक बार लॉग-इन करने के बाद, आपको ई-वोटिंग का विकल्प दिखाई देगा। जैसे ही आप ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करेंगे, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल / सीडीएसएल निक्षेपागार की साइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ आप ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। 3. कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता – केफिनटेक के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें, और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने के लिए, बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के, केफिनटेक की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।

Individual Shareholder login through their demat accounts / Website of Depository Participant	1. You can also login using the login credentials of your demat account through your DP registered with NSDL / CDSL for e-Voting facility. 2. Once logged-in, you will be able to see e-Voting option.Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL / CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. 3. Click on options available against company name or e-Voting service provider - KFintech and you will be redirected to e-Voting website of KFintech for casting your vote during the remote e-Voting period without any further authentication.

b) व्यक्तिगत सदस्य (जिनके पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियां हैं) निक्षेपागार प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करें

आप ई–वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल / सीडीएसएल के साथ रजिस्टर्ड अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों के ज़रिए, अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके भी लॉगिन कर सकते हैं। एक बार लॉगिन करने के बाद, आपको ई–वोटिंग का विकल्प दिखाई देगा। ई–वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, और सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल निक्षेपागार साइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। कंपनी के नाम या ई–वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने के लिए ई–वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पुनः निर्देशित कर दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट: जिन सदस्यों को अपना उपयोगकर्ता आईडी / पासवर्ड प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त बताई गई वेबसाइट पर उपलब्ध 'Forget User ID' और 'Forget Password' विकल्प का उपयोग करें।

b) Individual Members (holding securities in demat mode) login through their depository participants.

You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL / CDSL for e-Voting facility. Once you login, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option and you will be redirected to NSDL / CDSL Depository site after successful authentication. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID / Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned website.

सदस्य जिन्हें किसी तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है – एनएसडीएल	सदस्य जिन्हें किसी तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है – सीडीएसएल
जिन सदस्यों को लॉगिन करने में कोई तकनीकी समस्या आ रही है, वे evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर या टोल–फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर करके एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।	जिन सदस्यों को लॉगिन करने में कोई तकनीकी समस्या आ रही है, वे helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर या 022–23058738 अथवा 22–23058542–43 पर कॉल करके सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

Members facing any technical issue - NSDL	Members facing any technical issue - CDSL
Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 or 22-23058542-43.

c) यह गैर–व्यक्तिगत सदस्यों और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों पर लागू होता है।

गैर–व्यक्तिगत सदस्यों और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए लॉगिन की विधि निम्नलिखित है:

रिमोट ई–वोटिंग के लिए प्रक्रिया और निर्देश इस प्रकार हैं:

a) प्रारंभिक पासवर्ड ईमेल के मुख्य भाग में दिया गया है।

b) इंटरनेट ब्राउज़र खोलें और एड्रेस बार में यूआरएल: https://evoting.kfintech.com में टाइप करें।

c) अपने ईमेल में उल्लिखित लॉगिन क्रेडेंशियल यानी यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें। आपका फोलियो नंबर / डीपी आईडी क्लाइंट आईडी ही आपकी यूजर आईडी होगी।

c) Applicable for non-Individual members and members holding shares in physical form

Login method for non-individual members and members holding shares in physical form are given below:

Procedure and Instructions for remote e-Voting are as under:

a) Initial password is provided in the body of the e-mail.

b) Launch internet browser and type the URL: https://evoting.kfintech.com in the address bar.

c) Enter the login credentials i.e. User ID and password mentioned in your e-mail. Your Folio No./DP ID Client ID will be your User ID.

हालांकि, यदि आप पहले से ही ई–वोटिंग के लिए केफिन में पंजीकृत हैं, तो अपना वोट डालने के लिए अपनी मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करें।

d) सभी विवरण सही ढंग से दर्ज करने के बाद, लॉगिन पर क्लिक करें।

e) आप पासवर्ड बदलने वाले मेनू पर पहुँच जाएंगे जहाँ आपको अपना पासवर्ड बदलना अनिवार्य होगा। नए पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर होने चाहिए, जिनमें कम से कम एक अपर केस (A-Z), एक लोअर केस (a-z), एक न्यूमेरिक वैल्यू (0–9) और एक स्पेशल कैरेक्टर (@,#,$, आदि) शामिल हो। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए पूरी सावधानी बरतें।

f) आपको नए क्रेडेंशियल्स के साथ फिर से लॉगिन करना होगा।

g) सफल लॉगिन पर, सिस्टम आपको इवेंट (यानी केनरा बैंक) चुनने के लिए संकेत देगा।

h) वोटिंग पेज पर, कट–ऑफ तिथि तक आपके पास मौजूद शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या को दर्शाती है) दिखाई देगी। यदि आप प्रस्ताव के पक्ष में / विरोध में अपने सभी वोट डालना चाहते हैं, तो सभी शेयर दर्ज करें और अपनी पसंद के अनुसार 'FOR' / 'AGAINST' पर क्लिक करें; या कुछ वोट 'FOR' में और कुछ 'AGAINST' में डाल सकते हैं, लेकिन 'FOR' और/या 'AGAINST' में डाले गए वोटों की कुल संख्या, कट–ऑफ तारीख तक आपके पास मौजूद कुल शेयरों की संख्या से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप 'ABSTAIN' का विकल्प भी चुन सकते हैं, और इस स्थिति में आपके पास मौजूद शेयरों को किसी भी श्रेणी में नहीं गिना जाएगा।

i) जिन सदस्यों के पास एक से अधिक फोलियो / डीमैट खाते हैं, उन्हें प्रत्येक फोलियो / डीमैट खाते के लिए मतदान प्रक्रिया अलग से चयन करनी होगी।

j) सही विकल्प का चयन कर अपना वोट डालें और 'SUBMIT' पर क्लिक करें। एक कन्फर्मेशन बॉक्स दिखाई देगा। पुष्टि करने के लिए 'OK' पर क्लिक करें, या बदलने के लिए 'CANCEL' पर क्लिक करें। एक बार पुष्टि करने के बाद, आप बाद में अपना वोट नहीं बदल पाएंगे। वोटिंग की अवधि के दौरान, आप तब तक कई बार लॉग इन कर सकते हैं, जब तक आप यह पुष्टि न कर लें कि आपने प्रस्ताव पर वोट डाल दिया है।

k) कॉर्पोरेट / संस्थागत सदस्यों (यानी व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड प्रस्ताव / अधिकार पत्र आदि की प्रमाणित सही प्रति की स्कैन की गई इमेज (pdf / jpg फ़ॉर्मेट में) भेजनी होगी। इसके साथ ही, उन्हें वोट देने के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (हस्ताक्षरकर्ताओं)

However, if you are already registered with KFin for e-Voting, use your existing User ID and password for casting your votes.

d) After entering the details appropriately, click on LOGIN.

e) You will reach the password change menu wherein you will be required to mandatorily change your password. The new password shall comprise minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character (@,#,$,etc.). It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

f) You need to login again with the new credentials.

g) On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e. Canara Bank.

h) On the voting page, the number of shares (which represents the number of votes) held by you as on the cut-off date will appear. If you desire to cast all the votes assenting/dissenting to the resolution, enter all shares and click 'FOR'/'AGAINST' as the case may be or partially in 'FOR' and partially in 'AGAINST', but the total number in 'FOR' and/or 'AGAINST' taken together should not exceed your total shareholding as on the cut-off date. You may also choose the option 'ABSTAIN' and the shares held will not be counted under either head.

i) Members holding multiple folios/demat accounts shall choose the voting process separately for each folio/demat account.

j) Cast your votes by selecting an appropriate option and click on 'SUBMIT'. A confirmation box will be displayed. Click 'OK' to confirm, else 'CANCEL' to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote subsequently. During the voting period, you can login multiple times till you have confirmed that you have voted on the resolution.

k) Corporate / Institutional members (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned image (pdf / jpg format) of certified true copy of relevant board resolution/authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorised

के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर भी भेजने होंगे। ये दस्तावेज़ संवीक्षक को scrutinizer@snaco.net पर ईमेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए, और वे इन्हें अपने लॉगिन में मौजूद ई–वोटिंग मॉड्यूल में भी अपलोड कर सकते हैं।

l. किसी भी प्रश्न / शिकायत के लिए, आप https://evoting.kfintech.com के 'डाउनलोड' सेक्शन में उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई–वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं या श्री शशिधर एस. मन्नवा, उपाध्यक्ष, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, (यूनिट: केनरा बैंक), सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31–32, गाचीबोवली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद – 500 032 से ईमेल sashi.mannava@kfintech.com पर या फोन नंबर 1–800–309–4001 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं।

निक्षेपागार प्रतिभागियों के माध्यम से रिमोट ई–वोटिंग के लिए निर्देश इस प्रकार हैं:

आप ई–वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल / सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने निक्षेपागार प्रतिभागी के माध्यम से, अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, आप ई–वोटिंग का विकल्प देख पाएंगे। जैसे ही आप ई–वोटिंग विकल्प पर क्लिक करेंगे, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल / सीडीएसएल निक्षेपागार साइट पर पुनः निर्देशित कर दिया जाएगा, जहाँ आप ई–वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई–वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें; ऐसा करने पर आपको ई–वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर भेज दिया जाएगा, जहाँ आप रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डाल सकते हैं, या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होकर मीटिंग के दौरान वोट कर सकते हैं।

16. बैठक के दौरान ई–मतदान प्रणाली

केवल उन शेयरधारकों को ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की अनुमति दी जाएगी जो ई–एजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना मत नहीं डाला है। शेयरधारक बैठक के दौरान वीसी / एवीएम में लॉग इन करने के बाद उपलब्ध लिंक https://emeetings.kfintech.com / पर क्लिक करके उसमें उल्लिखित निर्देशों का पालन करके मतदान कर सकते हैं।

17. मतदान के समय संवीक्षक

मेसर्स एस एन अनंथसुब्रमण्यम एंड कंपनी, अभ्यासरत कंपनी सचिव बैठक के सभी कार्यसूची मदों के संबंध में रिमोट ई–मतदान और इंस्टापोल दोनों के लिए संवीक्षक के रूप में कार्य करेंगे।

signatory(ies) who is/are authorised to vote, to the Scrutinizer through e-mail at scrutinizer@snaco.net and may also upload the same in the e-Voting module in their login.

l. In case of any queries/grievances, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-Voting User Manual available at the 'download' section of https://evoting.kfintech.com or contact Mr. Sashidhar S Mannava, Vice President of KFin Technologies Ltd, (Unit : Canara Bank), Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad - 500 032 at e-mail sashi.mannava@kfintech.com at phone no. 1-800-309-4001 (Toll Free).

The instructions for remote e-Voting through Depository Participants are as under:

You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL / CDSL for e-Voting facility. After successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL / CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

16. E-VOTING SYSTEM DURING THE MEETING

Only those Shareholders who are present in the e-AGM and have not cast their vote through remote e-Voting shall be allowed to vote through e-Voting system. The Shareholders may vote during the course of the meeting by clicking the link https://emeetings.kfintech.com/ available after logging in to VC/OAVM by following the instructions mentioned therein.

17. SCRUTINIZERS AT VOTING

M/s. S.N. Ananthasubramanian & Co., Practicing Company Secretaries shall act as Scrutinizer for both remote e-Voting and instapoll in respect of all the agenda items of the meeting.

18. ई–वोटिंग के परिणाम

रिमोट ई–वोटिंग और ई–एजीएम में मतदान के समेकित परिणाम दो कार्य दिवसों के भीतर या बैठक के अंत में घोषित किए जाएंगे और बैंक, स्टॉक एक्सचेंजों और केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

19. हरित पहल – विशेष ध्यान अपेक्षित

भारत सरकार की हरित पहलों का समर्थन करने के उद्देश्य से, जिन शेयरधारकों ने अपनी ईमेल आईडी अपने संबंधित निक्षेपागार / आरटीए / बैंक के साथ पंजीकृत नहीं कराई है, उनसे अनुरोध है कि वे ऐसा अपने संबंधित निक्षेपागार के माध्यम से करें, अथवा इस सूचना में दिए गए पते / ईमेल आईडी पर आरटीए / बैंक को ईमेल या लिखित अनुरोध भेजकर ऐसा करें, ताकि उन्हें पत्राचार ईमेल के माध्यम से प्राप्त हो सकें।

20. विवाद समाधान

दिनांक 31 जुलाई, 2023 के सेबी परिपत्र के अनुसार, सेबी ने एक एकीकृत ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल ("ओडीआर पोर्टल" - https://smartodr.in/login) स्थापित किया है, जो भारतीय प्रतिभूति बाज़ार में उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के लिए ऑनलाइन समाधान और ऑनलाइन मध्यस्थता का उपयोग करता है। आरटीए / बैंक के साथ सीधे तौर पर और स्कोर प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए अपनी शिकायतों का निवारण करने के सभी विकल्प समाप्त होने के बाद भी, यदि शेयरधारक नतीजे से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह ओडीआर पोर्टल के ज़रिए विवाद समाधान की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। ओडीआर पोर्टल तक पहुँचने का लिंक बैंक की वेबसाइट https://www.canarabank.bank.in / पर 'Investor Relations' टैब के तहत उपलब्ध है।

21. भौतिक शेयरों के संबंध में लाभांश के भुगतान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी

सेबी ने अपने मास्टर परिपत्र सं. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 दिनांक 7 मई, 2024 के माध्यम से, अन्य बातों के साथ–साथ, 'आरटीए द्वारा निवेशकों के सेवा अनुरोधों को संसाधित करने के लिए सामान्य और सरल मानदंड' तथा 'पैन, केवाईसी संबंधी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने के लिए मानदंड' पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। मास्टर परिपत्र का पैरा 19.1 सभी भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों के लिए यह अनिवार्य करता है कि वे अपने संबंधित फोलियो नंबरों के लिए पैन, नामांकन का विकल्प, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करें। इसी क्रम में, पैरा 19.2 उन फोलियो में सेवाओं का लाभ उठाने और लाभांश आदि के भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित करता है, जिनमें पैन, केवाईसी संबंधी विवरण और नामांकन उपलब्ध नहीं हैं; जो इस प्रकार है:

18. RESULTS OF E-VOTING

The consolidated results of remote e-Voting and Voting at the e-AGM will be announced within two working days of the end of the Meeting and will also be hosted on the website of the Bank, Stock Exchanges and KFin Technologies Limited.

19. GREEN INITIATIVE - SPECIAL ATTENTION REQUESTED

In order to support the green initiatives by Government of India, Shareholders who have not registered their e-mail IDs with their respective Depositories/RTA/Bank, are requested to do so with their respective Depositories or by sending e-mails/ request in writing to the RTA / Bank at the address/ e-mail ID stated in this Notice in order to receive communications over mail.

20. Dispute Resolution

In terms of SEBI circular dated July 31, 2023, SEBI has established a common Online Dispute Resolution Portal ("ODR Portal" - https://smartodr.in/login) which harnesses online conciliation and online arbitration for resolution of disputes arising in the Indian Securities Market. Post exhausting the option to resolve their grievances with the RTA/ Bank directly and through SCORES platform, if the shareholder is not satisfied with the outcome, they can initiate dispute resolution through the ODR Portal. Link to access ODR portal is available on Bank's website at https://www.canarabank.bank.in/ under Investor Relations Tab.

21. Important Information regarding Payment of Dividend in respect of Physical Shares.

SEBI vide its Master Circular No. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated 7th May, 2024 has issued inter alia, guidelines on 'Common and Simplified Norms for processing investor's service request by RTAs and norms for furnishing PAN, KYC details and Nomination'. Para 19.1 of the Master Circular mandates all the holders of physical securities to furnish PAN, Choice of Nomination, Contact Details, Bank A/c. Details and Specimen Signature for their corresponding folio numbers. In continuation of the same, Para 19.2 lays down the procedure for availing services and payment of dividend etc., in the folios without PAN, KYC details and nomination which reads as under:

जिन फोलियो में पैन, केवाईसी और बैंक खाते का विवरण नहीं है:

जिन शेयरधारकों के फोलियो में पैन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर अद्यतन नहीं हैं, वे पात्र होंगे:

- आरटीए से शिकायत दर्ज कराने या किसी भी सेवा का लाभ उठाने के लिए पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- ऐसे फोलियो के संबंध में लाभांश, ब्याज या मोचन भुगतान सहित किसी भी भुगतान हेतु, दिनांक 1 अप्रैल, 2024 से केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान किया जाएगा। सूचीबद्ध कंपनी द्वारा शेयरधारक को सूचित किया जाएगा कि ऐसा भुगतान देय है और यह भुगतान मास्टर परिपत्र के पैरा 19.1 में उल्लिखित आवश्यकताओं का अनुपालन करने पर ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।

  उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, यदि आपके पास शेयर भौतिक रूप में हैं, तो आपको बैंक के आरटीए को निर्धारित फॉर्मों में (जो बैंक की वेबसाइट: https://www.canarabank.bank.in / पर इस लिंक: https://www.canarabank.bank.in/shareholder-information के अंतर्गत उपलब्ध हैं) अपना वैध पैन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और अद्यतन नमूना हस्ताक्षर तुरंत जमा करना आवश्यक है (यदि आपने पहले से ऐसा नहीं किया है)। ऐसा करने से आप सेवाओं के लिए निर्बाध अनुरोध कर सकेंगे और आपके बैंक खाते में लाभांश जमा हो सकेगा; क्योंकि दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से, लाभांश का भुगतान भौतिक वारंट जारी करके नहीं किया जाएगा। आपकी सुविधा हेतु, आप अपनी भौतिक शेयर होल्डिंग को अभौतिकीकरण भी करवा सकते हैं, ताकि आप इलेक्ट्रॉनिक लाभांश भुगतान का लाभ उठा सकें।

22. निवेश में सुगमता - भौतिक प्रतिभूतियों के अंतरण और अभौतिकीकरण के लिए विशेष विंडो

प्रतिभूति एवं निवेश सुविधा निर्वाह नीति आयोग (एसईबी) ने दिनांक 30 जनवरी, 2026 को एक परिपत्र जारी किया है, जिसका शीर्षक है "निवेश में सुगमता - भौतिक प्रतिभूतियों के अंतरण व अभौतिकीकरण के लिए विशेष विंडो"। निवेशकों के लिए निवेश को सुगम बनाने और उनके द्वारा खरीदी गई प्रतिभूतियों में उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से पहले बेची / खरीदी गई भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण व अभौतिकीकरण ("डीमैट") के लिए एक विशेष विंडो खोली गई है। यह विशेष विंडो दिनांक 5 फरवरी, 2026 से 4 फरवरी, 2027 तक एक वर्ष की अवधि के लिए खुली रहेगी।

Folios without PAN, KYC Details and Bank Account Details:

The security holder(s) whose folio(s) do not have PAN, Contact Details, Bank Account Details and Specimen Signature updated, shall be eligible:

- to lodge grievance or avail any service request from the RTA only after furnishing PAN, KYC details and Nomination.
- for any payment including dividend, interest or redemption payment in respect of such folios, only through electronic mode with effect from April 01, 2024. An intimation shall be sent by the Listed Company to the security holder that such payment is due and shall be made electronically only upon complying with the requirements stated in Para 19.1 of the Master Circular.

  In view of the above, if you are holding shares in physical form, you are required to furnish valid PAN, Contact Details, Bank Account Details and updated Specimen Signature immediately to the Bank's RTA in the prescribed forms (available on the Bank's website: https://www.canarabank.bank.in/ under the link: https://www.canarabank.bank.in/shareholder-information, if not already done, to avail uninterrupted service requests as well as credit of dividend in bank account, as no dividend will be paid by way of issuance of physical warrant, with effect from 1st April, 2024. For your convenience, you may also dematerialise the physical holding so as to avail the benefit of electronic dividend payment.

22. Ease of Doing Investment - Special Window for Transfer and Dematerialisation of Physical Securities

Securities SEBI vide circular dated January 30, 2026 has issued circular w.r.t. Ease of Doing Investment - Special Window for Transfer and Dematerialisation of Physical Securities. To facilitate ease of investing for investors and to secure their rights in the securities purchased by them, a special window has been opened for transfer and dematerialization ("demat") of physical securities which were sold / purchased prior to April 01, 2019. This special window shall be open for a period of one year from February 05, 2026 to February 04, 2027.

व्याख्यात्मक विवरण
मद संख्या 3

बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री सुनील कुमार चुघ की नियुक्ति का अनुमोदित करना और विमर्श करना।

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 17(1सी) के अनुसार सूचीबद्ध इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति [या पुनर्नियुक्ति] के लिए शेयरधारकों की मंजूरी अगली आम बैठक में या नियुक्ति की तारीख से तीन महीने की समयावधि के भीतर ली जाए, जो भी पहले हो। बशर्ते कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति या प्रबंधक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी अगली आम बैठक में ली जाए।

केंद्र सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, श्री सुनील कुमार चुघ को पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए अर्थात 24 नवंबर, 2025 से 23 नवंबर, 2028 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 36 (3) के अनुसार श्री सुनील कुमार चुघ का संक्षिप्त परिचय, सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक संख्या 2 के पैरा 1.2.5 के साथ पठित, इस व्याख्यात्मक वक्तव्य में दिया गया है।

श्री सुनील कुमार चुघ, एक सनदी लेखाकार और भारतीय बैंकर संस्थान का प्रमाणपत्रित एसोसिएट हैं, और उन्हें तीन दशकों से ज़्यादा का बैंकिंग का अनुभव है। उन्होंने 1993 में अपना करियर शुरू किया और पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक और देना बैंक सहित पांच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए शीर्ष तक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विविध कार्यात्मक भूमिकाओं और नेतृत्व जिम्मेदारियों के माध्यम से गहन विशेषज्ञता हासिल की। इन वर्षों के दौरान, उन्होंने कॉर्पोरेट साख, खुदरा, कृषि और एसएसएमई (आरएएम) ऋण, वित्तीय समावेशन, दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन व ऋण निगरानी सहित प्रमुख कारोबारिक और परिचालन वर्टिकल का नेतृत्व किया। उन्होंने मुंबई, कोलकाता और अहमदाबाद में बड़ी कॉर्पोरेट शाखा प्रमुख रह चुके हैं। उन्होंने कॉर्पोरेट कार्यालय, प्रशासनिक कार्यालयों और शाखाओं में काम किया है, जिससे उन्हें क्षेत्र–स्तरीय अनुभव के साथ–साथ रणनीतिक समझ भी है। उन्होंने मेसर्स पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स स्विफ्ट इंडिया डोमेस्टिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक के पद पर कार्य किया है। केनरा बैंक के कार्यपालक

EXPLANATORY STATEMENT
ITEM No. 3

To consider and approve the appointment of Shri Sunil Kumar Chugh as Executive Director of the Bank.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the listed entity shall ensure that approval of Shareholders for appointment [or re-appointment] of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting or within a time period of three months from the date of appointment, whichever is earlier. Provided that a public sector company shall ensure that the approval of the Shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors or as a Manager is taken at the next general meeting.

In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of Sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, by the Central Government, Shri Sunil Kumar Chugh has been appointed as an Executive Director on the Board of the Bank, for a period of three years with effect from the date of assumption of office, i.e., from November 24, 2025 to November 23, 2028, or until further orders, whichever is earlier.

Brief profile of Shri Sunil Kumar Chugh in terms of Regulation 36 (3) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 read with Para 1.2.5 of the Secretarial Standard No. 2 on General Meetings is as under:

Shri Sunil Kumar Chugh, a Chartered Accountant and a Certified Associate of the Indian Institute of Bankers by qualification, has over three decades of banking experience. Beginning his career in 1993, he has risen through the ranks, serving in five Public Sector Banks - Punjab National Bank, Oriental Bank of Commerce, Union Bank of India, Punjab & Sind Bank and Dena Bank, gaining deep expertise through diverse functional roles and leadership responsibilities. Over the years, he led key business and operations verticals, including Corporate Credit, Retail, Agri & MSME (RAM) Credit, Financial Inclusion, Stressed Assets Management and Credit Monitoring. He has headed Large Corporate Branches in Mumbai, Kolkata and Ahmedabad. His roles have spanned Corporate Office, Administrative Offices and Branches, combining field-level exposure with strategic insights. He has served as Director on the Board of M/s PNB Cards & Services Pvt. Ltd and M/s Swift India

निदेशक का पदभार ग्रहण करने से पहले, उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के हैदराबाद मंडल के प्रमुख थे।

सेबी (बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार अन्य विवरण इस प्रकार हैं:

a. भारत सरकार द्वारा बैंक के कारोबार के संदर्भ में आवश्यक कौशल / विशेषज्ञता / क्षमताओं की पहचान की जाती है और तदनुसार, बैंक के बोर्ड में निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

b. निदेशकों के बीच कोई आपसी संबंध नहीं है।

c. अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद: शून्य

d. पिछले तीन वर्षों में श्री सुनील कुमार चुघ ने जिन सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद छोड़ दिया है, उनके नाम: शून्य

e. केनरा बैंक में शेयरधारिता: शून्य

बोर्ड इस नोटिस के संकल्प संख्या 3 में उल्लिखित साधारण प्रस्ताव को पारित करने की अनुशंसा करता है।

निदेशकगण, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके संबंधियों में से कोई भी, बैंक और उपर्युक्त उल्लिखित संस्थाओं में उनकी शेयरधारिता/ निदेशकता (यदि कोई हो) की सीमा के अतिरिक्त, उक्त प्रस्ताव में किसी प्रकार से संबंधित या हितग्राही नहीं हैं।

मद संख्या. 4

बैंक के सरकारी मनोनीत निदेशक के रूप में सुश्री शालिनी पंडित की नियुक्ति पर विचार करना और उसका अनुमोदन करना।

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 17(1सी) के अनुसार, सूचीबद्ध इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति [या पुनर्नियुक्ति] के लिए शेयरधारकों की मंजूरी अगली आम बैठक में या नियुक्ति की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, ली जाए। बशर्ते कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल या प्रबंधक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी अगली आम बैठक में ली जाए।

Domestic Services Pvt. Ltd. Prior to assuming charge as Executive Director of Canara Bank, he headed Hyderabad Zone of Punjab National Bank.

Other details in terms of Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

a. The skills / expertise / capabilities as required in the context of business of the Bank are identified by the Government of India and accordingly, appointment of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.

b. There is no inter-se relationship between Directors

c. Directorship in other listed entities: Nil

d. Name of listed entities in which Shri Sunil Kumar Chugh has ceased to be director in the past three years: Nil

e. Shareholding in Canara Bank: Nil

The Board recommends the passing of an ordinary resolution as set out in Resolution No. 3 of this Notice.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, other than to the extent of their shareholding / directorships, if any, in the bank and in any of the entities mentioned above, if any, are concerned/interested in the above resolution.

ITEM No. 4

To consider and approve the appointment of Ms Shalini Pandit as Government Nominee Director of the Bank

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the listed entity shall ensure that approval of Shareholders for appointment [or re-appointment] of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting or within a time period of three months from the date of appointment, whichever is earlier. Provided that a public sector company shall ensure that the approval of the Shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors or as a Manager is taken at the next general meeting.

केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुश्री शालिनी पंडित को तत्काल प्रभाव से, अर्थात 13 मई, 2026 से तथा अगले आदेश तक बैंक में सरकारी मनोनीत निदेशक नियुक्त किया गया है।

एसईबीआई (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 36 (3) और सामान्य बैठकों पर सचिवालय मानक संख्या 2 के पैरा 1.2.5 के अनुसार सुश्री शालिनी पंडित का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है:

सुश्री शालिनी पंडित उड़ीसा कैडर की भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं और वर्तमान में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं।

भारत सरकार में अपनी नियुक्ति से पहले, सुश्री शालिनी पंडित उड़ीसा सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुकी हैं। उन्होंने विद्यालय एवं जन शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मिशन शक्ति विभाग और उड़ीसा भाषा, साहित्य एवं संस्कृति विभाग, उड़ीसा में सचिव के रूप में कार्य किया है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक, उड़ीसा की श्रम आयुक्त और कई जिलों की जिला कलेक्टर के रूप में भी कार्य किया है। शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने और कोविड–19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र में उनके नेतृत्व की व्यापक रूप से सराहना की जाती है। सुश्री शालिनी पंडित ने दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज से वनस्पति विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान से वन्यजीव विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की।

सेबी (बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार अन्य विवरण इस प्रकार हैं:

a. भारत सरकार द्वारा बैंक के कारोबार के संदर्भ में आवश्यक कौशल / विशेषज्ञता / क्षमताओं की पहचान की जाती है और तदनुसार, बैंक के बोर्ड में निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

b. निदेशकों के बीच कोई आपसी संबंध नहीं है।

c. अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद: शून्य

In exercise of powers conferred by clause (b) of Sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, by the Central Government, Ms Shalini Pandit has been appointed as Government Nominee Director of the Bank, with immediate effect, i.e., from May 13, 2026 and until further orders.

Brief profile of Ms Shalini Pandit in terms of Regulation 36 (3) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 read with Para 1.2.5 of the Secretarial Standard No. 2 on General Meetings is as under:

Ms. Shalini Pandit is an Indian Administrative Service (IAS) officer of the Odisha cadre presently serving as Joint Secretary in the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India.

Ms. Shalini Pandit has held several key positions in the Odisha Government prior to moving to her assignment with the Government of India. She has served as Secretary for School & Mass Education Department, Health & Family Welfare Department, Mission Shakti Department and Odia Language, Literature & Culture Department, Odisha. She has also served as Mission Director, National Health Mission, Labour Commissioner, Odisha and District Collector for several districts. Her work in bringing reforms to the education sector and leadership in the health sector during the Covid-19 pandemic is widely appreciated. Ms. Shalini Pandit graduated in Botany from Miranda House College, University of Delhi and completed her M.Sc. in Wildlife Science from the Wildlife Institute of India, Dehradun.

Other details in terms of Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

a. The skills / expertise / capabilities as required in the context of business of the Bank are identified by the Government of India and accordingly, appointment of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.

b. There is no inter-se relationship between Directors

c. Directorship in other listed entities: Nil

d. पिछले तीन वर्षों में सुश्री शालिनी पंडित ने जिन सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद छोड़ दिया है, उनके नाम: शून्य

e. केनरा बैंक में शेयरधारिता: शून्य

बोर्ड इस नोटिस के संकल्प संख्या 4 में उल्लिखित साधारण प्रस्ताव को पारित करने की अनुशंसा करता है।

निदेशकगण, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके संबंधियों में से कोई भी, बैंक और उपर्युक्त उल्लिखित संस्थाओं में उनकी शेयरधारिता/ निदेशकता (यदि कोई हो) की सीमा के अतिरिक्त, उक्त प्रस्ताव में किसी प्रकार से संबंधित या हितग्राही नहीं हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

संतोष कुमार बारिक

संतोष कुमार बारिक
कंपनी सचिव

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 27.05.2026

d. Name of listed entities in which Ms. Shalini Pandit has ceased to be director in the past three years: Nil

e. Shareholding in Canara Bank: Nil

The Board recommends the passing of an ordinary resolution as set out in Resolution No. 4 of this Notice.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, other than to the extent of their shareholding / directorships, if any, in the bank and in any of the entities mentioned above, if any, are concerned / interested in the above resolution.

By Order of the Board of Directors

SANTOSH KUMAR BARIK
COMPANY SECRETARY

Place : Bengaluru
Date : 27.05.2026